

41 पैक्सों के पास 5.65 करोड़ बकाया

डिफॉल्टर घोषित

गया | नंदन शर्मा

जिले के 41 पैक्सों के पास मगध को-ऑपरेटिव बैंक का पांच करोड़ 65 लाख का बकाया हो गया है।

खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक बैंक का बकाया राशि भुगतान नहीं किये जाने पर संबंधित पैक्सों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। बकाया राशि भुगतान नहीं करने तक ये पैक्स धान खरीद से वंचित रहेंगे। बैंक की ओर से राशि जमा नहीं करने वाले पैक्सों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। एफआईआर दर्ज होने

कसा शिकंजा

- बकायेदार पैक्सों को धान खरीद से रखा गया है वंचित
- राशि नहीं जमा करने वालों पैक्सों पर एफआईआर दर्ज कर होगी गिरफ्तारी

के बाद संबंधित पैक्स अध्यक्षों को गिरफ्तार किया जायेगा।

सबसे अधिक गया ब्रांच का 1.85 करोड़: बैंक के सबसे अधिक बकायेदार गया ब्रांच से हैं।

गया ब्रांच का 11 पैक्सों के पास एक करोड़ 84 लाख 71 हजार 156 रुपये बकाया है। दूसरे नंबर पर टिकारी ब्रांच

डिफॉल्टर घोषित बकायेदार पैक्स

बेलागंज प्रखंड - कोरियावां, खनेटा, कोरमथु, पाई बिगहा व पनारी, खिजरसराय प्रखंड - बिहटा, उचौली व अइमा, अतरी प्रखंड - चकरा व डिहुरी, मोहड़ा प्रखंड - तेतार व सरसु, कोच प्रखंड - केर व असलेमपुर, टिकारी प्रखंड - टिकारी, परैया प्रखंड - बगाही, वजीरगंज प्रखंड - मंगरावां, फतेहपुर प्रखंड - नीमी व फतेहपुर, टनकुप्पा - आरोपुर, मोहनपुर प्रखंड - सिदुआर, केवला, डेमा, लाडु, गुरियावां व धरहारा, डोभी प्रखंड - नदरपुर, बाराचट्टी प्रखंड - बीबी पेसरा, गुरुआ प्रखंड - गुनेरी, पलुहारा, काज व सीमारू, शेरघाटी प्रखंड - बार, चिताब कला व चेरकी, डोभी प्रखंड - बारी, इमामगंज प्रखंड - बिराज, सलैया व इमामगंज और डुमरिया प्रखंड - नंदई व कोल्हुबार

का पांच पैक्सों के पास एक करोड़ 23 लाख 66 हजार, शेरघाटी ब्रांच का आठ पैक्सों के पास एक करोड़ 18 लाख 24 हजार, बाराचट्टी ब्रांच का आठ पैक्सों के पास करीब 93 लाख, इमामगंज ब्रांच

का पांच पैक्सों के पास करीब तीस लाख व वजीरगंज ब्रांच का चार पैक्सों के पास 15 लाख रुपये का बकाया है। इन सबों से कॉपरेटिव बैंक बकाया राशि की वसूली करेगी।